<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>रिट याचिका सं. 91 वर्ष 2009 (एम/एस)</u>

डी.एस.एम. शुगर काशीपुर
(अब मेसर्स काशीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड ..... याचिकाकर्ता।

बनाम

आयुक्त, सीमा शुल्क और
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एक अन्य ..... प्रतिवादी।

श्री ललित बेलवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री एच.एम.भाटिया, प्रतिवादीयों के लिए केंद्र सरकार के अधिवक्ता।

यू.सी. ध्यानी, जे.(मौखिक)

वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, अन्य के साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करता हैः

(i) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 17.11.2008 जो स्थगन आवेदन संख्या में ई/स्टे/1941/2008-ईएक्स ई/1982/2008-ईएक्स (बीआर), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ के तहत पारित किया गया को रद्द करते हुए उत्प्रेषण-लेख की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें, इस सीमा तक कि यह आठ सप्ताह की अवधि के भीतर शुल्क राशि का 50% जमा करने का निर्देश देता है।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित अपील संख्या 1982/08, गुण-दोष के आधार पर, किसी भी राशि के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35F के पूर्व-जमा पर जोर दिए बिना, सुनने का निर्देश दिया जाए।

(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादी को ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित अपील संख्या ई/1982/08-डीबी में शामिल शुल्क, ब्याज और जुर्माने के रूप में पुष्टि की गई किसी भी राशि की वसूली न करने का निर्देश दिया जाए।

2) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों को देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान रिट याचिका निरर्थक हो गई है।

3) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा 04.10.2013 को मैसर्स डीएसएम शुगर (अब मैसर्स काशीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड) और अन्य बनाम आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय के बीच दिए गए फैसले में आबकारी विभाग, मेरठ द्वितीय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

> "उपरोक्त नियम से, यह स्पष्ट है कि जब किसी कंपनी द्वारा कोई अपील या आवेदन दायर किया जाता है और उसे समाप्त किया जा रहा होता है, तो अपील या आवेदन तब तक उपशमन करना जाएगा जब तक कि उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, रिसीवर, परिसमापक या अपीलकर्ता या आवेदक या प्रतिवादी, जैसा भी मामला हो, के अन्य कानूनी प्रतिनिधि द्वारा या उनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही जारी रखने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है। इस मामले में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता कंपनी को समाप्त किया जा रहा है और आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है।लेकिन, चूंकि सी. ई. एस. टी. ए. टी. प्रक्रिया नियमों के नियम 22 के अनुसार आधिकारिक परिसमापक से कार्यवाही जारी रखने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपीलकर्ता कंपनी मेसर्स डी. एस. एम. शुगर द्वारा दायर इन सभी अपीलों, स्थगन आवेदनों और विविध आवेदनों को सी. ई. एस. टी. ए. टी. प्रक्रिया नियमों के नियम 22 के संदर्भ में समाप्त माना जाएगा। विभाग आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ राजस्व का अपना दावा पेश कर सकता है और आधिकारिक परिसमापक, अपील की बहाली और स्थगन आवेदनों और उनकी निरंतरता के लिए इस न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए भी स्वतंत्र है"।

4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए, इसे अंतिम रूप दिया गया है।

5) इसलिए, रिट याचिका निरर्थक हो गई है। इसे निष्फल मानकर खारिज कर दिया गया है।

(यू.सी. ध्यानी, जे.)

दिनांक 1 अगस्त, 2017

नेगी